



2025:RJ-JP:45487

[2025:RJ-JP:45487]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13542/2025

Sitaram S/o Motiram, Aged About 36 Years, R/o Baldwalo Ki Dhani, Panihari, Police Station Phulera, District Jaipur Rural.
(Accused Petitioner Confined in Sub Jail Sambharlake, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashish Kumar Gill, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

12/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना सैंथल, जिला दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 118/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, लंबे समय से अभिरक्षा में है, उससे कोई बरामदगी शेष नहीं है, प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।



विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 19/54, 54(A) राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध का आरोप है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है, प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सहअभियुक्तगण सुनील कुमार व राजेन्द्र कुमार उर्फ राजू का एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 6881/2024 आदेश दिनांक 14.06.2024 द्वारा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सीताराम पुत्र मोतीराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य



2025:RJ-JP:45487

[2025:RJ-JP:45487]

(3 of 3)

[CRLMB-13542/2025]

प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /156 (8)